न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 15 / 2020
अनवान :–

1. आमीन पुत्र सुलेमान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 25 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. मकबूल पुत्र सुलेमान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वाड्र संख्या 27 नोहर गौशाला के सामने कस्बा नोहर तहसील नोहर जिला हनुमनगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री मागेराम गोदारा आविक्ता सायल
श्री महेश चन्द्र शर्मा, अभिभाषक, गेरसायल

निर्णय दिनांक : 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायल की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 13 / 13 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि है तथा इसी चक में सायल के चिपते हुए गैरसायल की भूमि खाता संख्या 101 / 96 की कुल 4.0480हैक्ट भूमि है।

सायल अपने खेत में आवागमन हेतु मंजूरशुद्वा रास्ता से होकर आगे खेत में जाने हेतु गैरसायल के खेत के प0न0 321 / 445(29) के किला न0 2 ,9 ,12 ,19 में पूर्वी की तरफ से हमेशा से ही आवागमन करता है यहा पर पक्की ईन्टो से रास्ता भी बना रखा है जो पिछले 15–20 सालो से चला आ रहा है आज भी मौका पर रास्ता चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने के कारण गैरसयाल हमेशा रास्ता को बन्द करने की घमकी देता है जिससे हमेशा झगडे की सम्भावना बनी रहती है इसलिये उक्त रास्ता को रिकार्ड में 1–1 बिश्वा दर्ज किया जावे तथा रास्तें में जितनी भूमि आती है के बदले में सायल अपने खेत में से गैरसायल के चिपते हुए भूमि देने को तैयार है या डीएससी दर से राशि जो भी गैरसायल चाहता है देने का तेयार है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है यही रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपलब्ध है इसी रास्ते से सायल हमेशा से आवागमन करता आ रहा है गैरसायल के द्वारा यदि यह रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो सायल को नापुरा होने वाला नुकसान होगा व अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने से वंचित हो जावेगा।

सायल ने अपने खेत में ढाणी बना रखी है [illegible] ढाणी के सामने जो रास्ता उपलब्ध था उसी के अनुसार ढाणी का निर्माण किया [illegible] इसी चालू रास्ते पर विधायक कोटे से पानी की पाईप लाईन भी डाली हुई है इसलिये यह रास्ता स्वीकृत [illegible] जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 101/96 के प0न0 321/445(29) के किला न0 2 ,9 ,12 ,19 में पूर्वी की तरफ सदामत से चालू रास्ता को रिकार्ड में 1–1 बिश्वा दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

सायल एक झगडाल किस्म का व्यक्ति है तथा परिवारिक रंजिश रखता है सायल की कृषि भूमि रोही मौजा चक 15 बारानी में कुल 4.5540हैक्ट भूमि है सायल द्वारा साजीसाना तौर पर गैरसायल के प0न0 321/445(29) के किला न0 2 ,9 ,12 ख19 में रास्ता की मांग की गई है जो विधि विरूद्व है प्रार्थी उतरदाता के खेत के दो भाग करते हुए प्रार्थी के खेते में ढाणी , मुर्गा फार्म , बकरी फार्म जो निर्मित है में से जाने की नियत से रास्ता का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो किसी भी प्रकार से सम्भव नही है।

सायल के नजदीक व सुविधाजनक सदैव व आवागमन होने वाला रास्ता आमीन सायल के भाई शरीफ पुत्र सुलेमान की खातेदारी सायल के चिपते हुए है जो प0न0 321/446(46) के किला न0 18 ता 23 है जिसके दक्षिणी पासा में आम रास्ता 16 फुट प0न0 321/447(56) के किला न0 1 ता 5 में मंजुरशुद्वा है उनसे रास्ता की मांग करनी चाहिये थी जिनको फरीक दावा बनाया गया है इससे स्पष्ट है कि उतरादाता को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये सबसे नजदीकी रास्ता उसके सगे भाई शरीफ की खातेदरी भूमि के प0न0 321/445(46) के किला न0 20 ,21 की पश्चि सीमा में उत्तर से दक्षिण है जो सबसे नजदीक व सुविधाजनक है वही से सायल रास्ता मंजुर करवा पाने का अधिकारी है गैरसायल की भूमि में से सायल किसी प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायल के द्वारा चाहे गये रास्ता से गैरसायल की भूमि के दो टुकडे एवं गैरसयाल में अपनी भूमि में बनाये गये फार्म एव ढाणी एव विधुत लाईन प्रभावित होती है जिससे गैरसयाल को भारी नुकसान होता है सायल ने गैरसायल की भूमि में से रास्ता की मांग केवल रंजिशवंश की गई है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

गैरसयल का जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया नजरीय नक्शा पर ऐतराज होने पर पुनः नजरीय नक्शा प्राप्त लिया जाकर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 13/13 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि है तथा इसी चक में सायल के चिपते हुए गैरसायल की भूमि खाता संख्या 101/96 की कुल 4.0480हैक्ट भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल अपने खेत में आवागमन हेतु मंजूरशुद्वा रास्ता से होकर आगे खेत में जाने हेतु गैरसायल के खेत के प0न0 321/445(29) के किला न0 2 ,9 ,12 ,19 में पूर्वी की तरफ से हमेशा से ही आवागमन करता है यहा पर पक्की ईन्टो से रास्ता भी बना रखा है जो पिछले 15–20 सालो से चला आ रहा है आज भी मौका पर रास्ता चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने के कारण गैरसयाल हमेशा रास्ता को बन्द करने की घमकी देता है जिससे हमेशा झगडे की सम्भावना बनी रहती है इसलिये उक्त रास्ता को रिकार्ड में 1–1 बिश्वा दर्ज किया जावे तथा रास्तें में जितनी भूमि आती है के बदले में सायल अपने खेत में से गैरसायल के चिपते हुए भूमि देने को तैयार है या डीएससी दर से राशि जो भी गैरसायल चाहता है देने का तेयार है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है यही रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपलब्ध है इसी रास्ते से सायल हमेशा से आवागमन करता आ रहा है गैरसायल के द्वारा यदि यह रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो सायल को नापुरा होने वाला नुकसान होगा व अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने से वंचित हो जावेगा।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 101/96 के प0न0 321/445(29) के किला न0 2 ,9 ,12 ,19 में पूर्वी की तरफ सदामत से चालू रास्ता को रिकार्ड में 1–1 बिश्वा दर्ज करने के आदेश फरमावें।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल एक झगडाल किस्म का व्यक्ति है तथा परिवारिक रंजिश रखता है सायल की कृषि भूमि रोही मौजा चक 15 बारानी में कुल 4.5540हैक् भूमि है सायल द्वारा साजीसाना तौर पर गैरसायल के प0न0 321/445(29) के किला न0 2 ,9 ,12 ख19 में रास्ता की मांग की गई है जो विधि विरूद्व है प्रार्थी उतरदाता के खेत के दो भाग करते हुए प्रार्थी के खेते में ढाणी , मुर्गा फार्म , बकरी फार्म जो निर्मित है में से जाने की नियत से रास्ता का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो किसी भी प्रकार से सम्भव नही है।

सायल के नजदीक व सुविधाजनक सदैव व आवागमन होने वाला रास्ता आमीन सायल के भाई शरीफ पुत्र सुलेमान की खातेदारी सायल के चिपते हुए है जो प0न0 321/446(46) के किला न0 18 ता 23 है जिसके दक्षिणी पासा में आम रास्ता 16 फुट प0न0 321/447(56) के किला न0 1 ता 5 में मंजुरशुद्वा है उनसे रास्ता की मांग करनी चाहिये थी जिनको फरीक दावा बनाया गया है इससे स्पष्ट है कि उतरादाता को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये सबसे नजदीकी रास्ता उसके सगे भाई शरीफ की खातेदरी भूमि के [illegible] (46) के किला न0 20 ,21 की पश्चि सीमा में उत्तर से दक्षिण है जो सबसे नजदीक [illegible] उसी से सायल रास्ता मंजुर करवा पाने का अधिकारी है गैरसायल की भूमि [illegible] सायल किसी प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायल के द्वारा चाहे गये रास्ता से गैरसायल की भूमि के दो टुकडे एवं गैरसयाल में अपनी भूमि में बनाये गये फार्म एव ढाणी एव विधुत लाईन प्रभावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होती है जिससे गैरसयाल को भारी नुकसान होता है सायल ने गैरसायल की भूमि में से रास्ता की मांग केवल रंजिशवंश की गई है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार

रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 13/13 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि सायल की खातेदारी भूमि है एवं रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 101/96 की कुल 4.0480हैक्ट भूमि का गैरसायल खातेदार काश्तकार है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो से साबित है।

सायल के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु गैरसायल की ख़ातेदारी भूमि के प0न0 321/445(29) के किला न0 2 ,9 ,12 ,19 में से एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की मांग की गई है।

गैरसायल ने सायल के कथनों को विरोध कर निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल की भूमि के बीच में से चाहा गया है जो न्यायोचित नही है प्रथम तो सायल को पत्थर लाईन पर रास्ता की मांग की जानी चाहिये थी वह भी नजदीकी रास्ता सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता नजदीकी नही है सायल के चिपते ही सायल के भाई शरीफ पुत्र सुलेमान की भूमि प0न0 321/446(46) के किला न0 18 ता 23 है जिसके दक्षिण में सायल के भाई यासीन पुत्र सुलेमान की प0न0 321/447(56) में भूमि है अर्थात सायल अपने भाईयों की भूमि में से पत्थर लाईन पर रास्ता लेकर मंजुरशुद्वा 16 फुट के रास्ता से आवागमन कर सकता है जो सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है एव पांच किलो के स्थान पर मात्र दो किलो में रास्ता स्वीकृत करना होगा सायल ने गैरसयाल को परेशान पर रंजिशवंश प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

उभयपक्षों के बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से गैरसयल का आक्षेप स्वीकार योग्य है क्योकि सायल के द्वारा जो रास्ता चाहा जा रहा है वह गैरसायल की भूमि के बीच में से चाहा गया है पत्थर लाईन से रास्ता नही चाहा गया है तथा सायल ने गैरसायल की भूमि में से पांच किलों में रास्ता चाहा जा रहा है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार सायल के चिपते हुए सायल के स्वय के परिवार की भूमि रोही मौजा 15 बारानी के मु0न0 46 ,56 में अन्य भूमिया है जो मंजुरशुद्वा रास्ता से चपती हुई है मु0न0 56 के किला न0 1 ता 5 में मंजुरशुद्वा 16 फुट का रास्ता है जो वर्तमान में चालू है जो सायल की भूमि से मात्र दो किला की दुरी पर है अर्थात सायल के नजदीक में मु0न0 56 का मंजुरशुद्वा रास्ता है सायल ने मु0न0 56 से अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता की मांग ना की जाकर गैरसायल की भूमि में से रास्ता की मांग की गई है जो पांच कि[illegible]न हैण्ड से न्यायालय में नही है आना स्पष्ट है।

यह विधि का सिद्धान्त है कि [illegible]के पत्थर लाईन पर ही रास्ता स्वीकार किया जावे जहॉ पर पत्थर लाईन पर रास्ता उप[illegible] ही ना हो उस सुरत में काश्तकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सविधा को ध्यान में रखा जाकर रास्ता अन्य जगह रास्ता स्वीकृत किया जावें जिससे जिस काश्तकार की भूमि में से रास्ता दिया जा रहा है उसको भी नुकसान ना हो।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये अपने ही परिवार की मु0न0 56 के चिपते हुए किला न0 1 ता 5 में मंजुरशुंद्वा रास्ता चल रहा है जो सायल के केवल दो किलों की दुरी पर है जहॉ से सायल रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग कर रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी था जो सायल की भूमि से केवल दो किलो की दुरी पर था तथा केवल दो किलों में ही रास्ता स्वीकार करवाना होता।

हॉ यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है किन्तु किसी काश्तकार को रास्ता दिये जाने की सुविधा के लिये अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

हस्तगत प्रकरण में सायल को अपने ही परिवार के सदस्यों की भूमि में से केवल दो किला दुरी पर रास्ता उपलब्ध होने के उपरान्त भी गैरसायल की भूमि के बिच में से पांच किलों में रास्ता की मांग की गई है जो न्यायोचित नही है सायल अपने परिवार के सदस्यों की भूमि में से रास्ता की मांग करता तो न्यायोचित थी क्यो कि कम दुरी एवं सुविधाजनक है सायल के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है सायल ने गैरसायल के हितो को नुकसान पहुचानें की नियत से गैरसायल की भूमि के बीच में से रास्ता चाहा गया है जो न्यायोचित नही है एवं सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल को अपने परिवार के सदस्यों की भूमि जो रोही मौजा चक 15 बारानी के मु0न0 56 में स्थित है तथा मु0न0 56 के किला न0 1 ता 5 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता वर्तमान में चल रहा है जो सायल की भूमि से मात्र 2 किला की दुरी पर है जहॉ से सायल ने रास्ता चाहा जा रहा है वह गैरसायल की भूमि के बीच में से होकर एवं गैरसायल की फार्मो एवं विधुत लाईन प्रभावित कर चाहा जा रहा है जो पांच किलो में जब सायल को दो किला में रास्ता उपलब्ध है वह भी पत्थर लाईन पर तो सायल गैरसायल के हितों को प्रभावित कर रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायल मु0न0 56 में से रास्ता पाने का अधिकारी है सायल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः साायल को छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता मु0न0 56 में से प्राप्त हो सकता है गैरसायल के हितो को प्रभावित कर सायल गैरसायल की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/5/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डांधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)